डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Empowerment of Persons with Disabilities Department
Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ

सेवा में,

1.	कुलपति	:	अध्यक्ष
2.	विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के अधिष्ठातागण	:	सदस्य
3.	प्रो0 एच0 एस0 झा, आचार्य	:	सदस्य
4.	डॉ0 संजीव कुमार गुप्ता, सह आचार्य	:	सदस्य
5.	श्री आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य	:	सदस्य
6.	परीक्षा नियंत्रक	:	सदस्य
7.	प्राचार्य, टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ	:	सदस्य
8.	प्राचार्य, हिन्द महाविद्यालय, बाराबंकी।	:	सदस्य
9.	प्राचार्य, कल्याणं करोति, मथुरा।	:	सदस्य
10.	प्राचार्य, विमला महाविद्यालय, लखनऊ।	:	सदस्य

पत्रांक : COE-357 / पत्रा.COE-31(II) / DSMNRU / 2021–22 दिनांक: 16 अगस्त, 2021

महोदया / महोदय,

कृपया डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की परीक्षा समिति की दशम् बैठक दिनाँक 09.08.2021 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोपरि।

15.8.2021
(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

के परीक्षा समिति की दशम् बैठक दिनाँकः 09 अगस्त, 2021 का कार्यवृत्त

समय–	अपराह्न 04:30 बजे
स्थान–	पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की दशम् बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/10	**परीक्षा समिति की नवम् बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।** निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा नवम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/10	**परीक्षा समिति की नवम् बैठक दिनांक 18 जून, 2021 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।** निर्णयः–परीक्षा समिति की नवम् बैठक में बिन्दुवार लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से परीक्षा समिति अवगत हुई।
3/10	**विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह के उपरांत दिव्यांग विद्यार्थियों की अद्यतन लम्बित उपाधियों को उन्हें निःशुल्क वितरित किये जाने के सम्बन्ध में।** निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा प्रथम दीक्षांत समारोह से अद्यतन वितरण हेतु शेष उपाधियों में से दिव्यांग विद्यार्थियों की उपाधियों के निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में विभागीय/अन्य सम्बन्धित स्तर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (अदेयता प्रमाण–पत्र) प्राप्त करते हुए सम्बन्धित विद्यार्थी के उपलब्ध पते पर पंजीकृत डाक/कोरियर सेवा के माध्यम से उपाधि प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/10	**विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह के उपरांत विद्यार्थियों की अद्यतन लम्बित उपाधियों को उन्हें कैम्प लगाकर वितरित किये जाने के सम्बन्ध में।** निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत विद्यार्थियों की उपाधियों के वितरण हेतु शिविर के आयोजन से पूर्व सम्बन्धित विद्यार्थियों को समाचार–पत्रों में विज्ञापन आदि के माध्यम से/ई–मेल/एस0एम0 एस0/पत्राचार आदि द्वारा शिविर के आयोजन के विषय में सूचित करते हुए तिथि का निर्धारण किये जाने तथा उपाधि वितरण हेतु शिविर आयोजन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
5/10	**मार्च, 2021 में दिसम्बर, 2020 अधिसत्र की जो परीक्षा विश्वविद्यालय में संपन्न हुई थी उसकी बैक पेपर परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।** निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत शैक्षणिक सत्र–2020–21 के अन्तर्गत माह मार्च, 2021 (दिसम्बर, 2020 के अन्तर्गत) में विषम अधिसत्र की परीक्षा के आयोजन के उपरांत उक्त परीक्षा की बैक पेपर परीक्षा के लिये अर्ह पाये गये (अधिकतम चार प्रश्न–पत्रों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी) विद्यार्थियों की बैक पेपर परीक्षा हेतु ऑन लाइन आवेदन पूर्ण कराते हुए बैक पेपर परीक्षा को माह सितम्बर, 2021 के प्रथम सप्ताह से आयोजित कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/10	**विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों का नामांकन संख्या आवंटित किये जाने के संबंध में।** निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत विश्वविद्यालय में प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को उनकी संपूर्ण अध्ययन् अवधि के दौरान समस्त पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा/स्नातक/परास्नातक) हेतु एक ही नामांकन संख्या आवंटित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
7/10	**विश्वविद्यालय में आगामी अधिसत्र/वर्ष में प्रोन्नति किये जाने के संबंध में।** निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत आगामी अधिसत्र/वर्ष में प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में बैक पेपर के लिये अर्ह सम्बन्धित विद्यार्थियों की बैक पेपर परीक्षा का आयोजन कराये जाने, तत्पश्चात् इनकी प्रोन्नति का परीक्षा परिणाम पृथक से घोषित किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए शेष विद्यार्थियों का प्रोन्नति का परिणाम घोषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रोन्नति हेतु परिणाम घोषित करने से पूर्व कार्यालय ज्ञाप पत्रांक सी.ओ.ई.–50 दिनांक 28.08.2020 के माध्यम से पूर्व में गठित समिति

(Dr. Amit Kumar Rai)
Controller of Examination
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University, Lucknow

(डॉ0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

	द्वारा प्रोन्नति के परिणाम की जाँच करनी होगी, तत्पश्चात् प्रोन्नति का परिणाम घोषित किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त इस हेतु आयोजित बैक पेपर परीक्षा के परिणाम के घोषित होने के उपरांत प्रोन्नति हेतु अर्ह पाये गये उन्हीं विद्यार्थियों को आगामी अधिसत्र में प्रोन्नत किया जायेगा, जो चार प्रश्न–पत्रों में से कम से कम दो प्रश्न–पत्रों में अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होंगे तथा उनका सी0जी0पी0 न्यूनतम 4.0 अथवा कुल प्राप्तांक प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत अनिवार्य रूप से होगा। उक्त के अतिरिक्त विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित करते हुए ईयर बैक की व्ययस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिसत्र में पुनः पंजीकरण कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
8/10	**विश्वविद्यालय में स्पेशल बैक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अंक तालिका में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि के अंकन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों के ऐसे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो स्पेशल बैक पेपर परीक्षा में प्रतिभाग करते हुए उत्तीर्ण हुए है अथवा उत्तीर्ण होंगे उनकी अंक तालिका में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि का अंकन करते हुए अंक तालिका निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
9/10	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अंकों के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अंकों का निम्नानुसार पुर्ननिर्धारण करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया :– अधिसत्र/सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा में किसी भी पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्न–पत्र में तीन खंड होंगे, जिसका विवरण निम्नवत् है:– **सैद्धान्तिक परीक्षा में 75 अंकों वाले प्रश्न–पत्रों में अंकों के निर्धारण का विवरण निम्नवत् है :–** **खण्ड–अ :** वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जो कुल 15 अंकों के होंगे। प्रश्नों की संख्या के निर्धारण के संबंध में आम सहमति 15 अंकों के लिए 05 प्रश्न (03 अंकों के) अर्थात अंकों का वितरण पूर्णांक में होंगे। विभागाध्यक्ष प्रबंधशास्त्र द्वारा एक अंक के 15 प्रश्नों के निर्माण का सुझाव दिया गया जिसको स्वीकार करते हुए परीक्षा समिति द्वारा यह अनुमोदन प्रदान किया गया कि 01 अंक के 15 प्रश्न अथवा 03 अंक के 05 प्रश्न प्राश्निकों द्वारा निर्मित किए जाएंगे। **खण्ड–बः** लघुउत्तरीय 07 अंक के 04 प्रश्न करने होंगे, जो कुल 28 अंकों के होंगे (शब्द सीमा 100 शब्द प्रतिप्रश्न)। **खण्ड–सः** विवरणात्मक श्रेणी के 16 अंक के 02 प्रश्न करने होंगे, जो कुल 32 अंकों के होंगे (शब्द सीमा 250 शब्द प्रतिप्रश्न)। **खण्ड–अ** के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, **खण्ड–ब** में विद्यार्थी को 06 में से कोई 04 प्रश्न हल करने होंगे एवं **खण्ड–स** में विद्यार्थी को 03 में से किन्हीं 02 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। (15+28+32=75) **आंतरिक परीक्षा के अन्तर्गत–मिड सेमेस्टर टेस्ट परीक्षा 10 अंकों की होगी विवरण निम्नवत् है :–** **खण्ड–अ :** वस्तुनिष्ठ 01 अंक के 04 प्रश्न, जो कुल 4 अंकों के होगे। **खण्ड–बः** लघुउत्तरीय 02 अंक का 01 प्रश्न करना होगा, जो कुल 02 अंकों का होगा (शब्द सीमा 100 शब्द प्रतिप्रश्न)। **खण्ड–सः** विवरणात्मक श्रेणी के 04 अंक के 01 प्रश्न करना होगा, जो कुल 4 अंकों का होगा (शब्द सीमा 200 शब्द प्रतिप्रश्न)। **खण्ड–अ** के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, **खण्ड–ब** में विद्यार्थी को 02 में से कोई 01 प्रश्न हल करना होगा एवं **खण्ड–स** में विद्यार्थी को 02 में से किन्हीं 01 प्रश्न का उत्तर देना होगा। (04+02+04=10) इसी प्रकार आंतरिक परीक्षा के अन्तर्गत एसाइनमेण्ट/प्रेजेण्टेशन/डीबेट/क्विज आदि जो कुल 15 अंकों की होगी। (10+15=25)
10/10	**विश्वविद्यालय में आयोजित बैक पेपर एवं स्पेशल बैक पेपर परीक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा एवं लिखित परीक्षा किसी कारणवश छूट जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरांत बैक पेपर परीक्षा (सम–विषम अधिसत्र)–2021 एवं स्पेशल बैक पेपर परीक्षा–2021 के विद्यार्थियों के जिन प्रश्न–पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि एवं समय पर होने के कारण वे उस तिथि में मात्र एक ही प्रश्न–पत्र की परीक्षा में सम्मिलित हो सके/हो सकते हैं। उनके छूटे हुए प्रश्न–पत्रों की परीक्षा पुनः परीक्षा समाप्ति के उपरांत नवीन तिथि निर्धारित करते हुए परीक्षा सम्पन्न कराये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(Dr. Amit Kumar Rai)
Controller of Examination
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University, Lucknow

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

	साथ ही जिन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य खराब होने अथवा अन्य किसी विशेष परिस्थिति के कारण विद्यार्थियों की बैक पेपर/स्पेशल बैक पेपर परीक्षा छूट गयी है, ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की स्पष्ट संस्तुति के उपरांत उनकी परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत करते हुए छात्रहित में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए नवीन तिथि निर्धारित कर परीक्षा सम्पन्न कराये जाने पर परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
	बैठक समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(Dr. Amit Kumar Rai)
Controller of Examination
Dr. Shakuntala Misra National
Rehabilitation University, Lucknow

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ